(भारत के राजपत्र असाधारण भाग–II, खण्ड–3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय
उद्योग भवन

अधिसूचना सं0 52/2015–20
नई दिल्ली, दिनांकः 7 मार्च, 2018

विषयः ''डीपीआरके से संबंधित यूएनएससी संकल्प के संबंध में डीपीआरके (कोरिया लोक जनतांत्रिक गणराज्य) से/को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आयात और निर्यात पर निषेध'' संबंधी विदेश व्यापार नीति 2015–20 के पैरा 2.17 में संशोधन।

सा०आ०(अ०): विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2015–20 के पैरा 1.02 के साथ पठित यथा संशोधित विदेश व्यापार(विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1992 की धारा 5 और धारा 14क के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतदद्वारा 18 अक्टूबर 2017 की अधिसूचना सं० 35/2015–20 के द्वारा यथा अधिसूचित विदेश व्यापार नीति 2015–20 के पैरा 2.17 में तत्काल प्रभाव से संशोधन करती है। इसके परिणामस्वरुप, विदेश व्यापार नीति 2015–20 का परिशिष्ट–I भी संशोधित किया जाता है।

2. विदेश व्यापार नीति 2015–20 के पैरा 2.17 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता हैः–
(पैरा शीर्षक और उपशीर्षक में प्रयुक्त मोटे अक्षरों को छोड़कर किए गए परिवर्तन मोटे अक्षरों में हैं)

''2.17 कोरिया लोक जनतांत्रिक गणराज्य (डीपीआरके) से/को किए जाने वाले प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष आयात और निर्यात पर निषेध''

''**निर्यात** पर **निषेध**:–

(क) ''कोरिया लोक जनतांत्रिक गणराज्य (डीपीआरके) को निम्नलिखित मदों की प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष आपूर्ति, बिक्री, अंतरण अथवा निर्यात निषिद्ध किया जाता हैः–

(i) कोई युद्ध टैंक, बख्तरबंद युद्ध वाहन, बड़ी क्षमता की आर्टिलरी प्रणालियां, लडाकू विमान, आक्रमणकारी हेलीकाप्टर, युद्धपोत, मिसाइलें अथवा मिसाइल प्रणालियां जिन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ के परंपरागत हथियारों अथवा स्पेयर पार्टस सहित संबंधित सामग्री संबंधी रजिस्टर के प्रयोजन हेतु परिभाषित किया गया है;

(ii) सभी हथियार और संबंधित सामग्री जिसमें छोटे हथियार और हल्के हथियार और उनकी संबंधित सामग्री शामिल है;

(iii) संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) और अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण (आईएईए) दस्तावेजों में यथा उल्लिखित सभी मदें, सामग्री, उपस्कर, वस्तुएं और प्रौद्योगिकी नामतः

1) एस/2006/853*;
2) एस/2006/853/सीओआरआर. 1;
3) एस/2009/364 का भाग (ख);
4) संकल्प 2094 (2013) का अनुलग्नक III;
5) एस/2016/1069;
6) आईएनएफसीआईआरसी/254/संशोधन 12/भाग–1 (आईएईए दस्तावेज) का अनुलग्नक क;
7) आईएनएफसीआईआरसी/254/संशोधन 9/भाग–2 (आईएईए दस्तावेज) का अनुलग्नक ;
8) एस/2014/253;
9) एस/2016/308;
10) संकल्प 2321(2016) का अनुलग्नक III; और
11) केन्द्र सरकार द्वारा यथा निर्धारित अन्य मदें, सामग्री, उपस्कर, माल और प्रौद्योगिकी जो कोरिया लोक जनतांत्रिक गणराज्य के परमाणु से जुड़े, बैलिस्टिक मिसाइल या सामूहिक विनाश के अन्य हथियारों से संबंधित कार्यक्रमों में योगदान देते हों;

(iv) संकल्प 2094(2013) के अनुलग्नक IV, संकल्प 2270 (2016) के अनुलग्नक IV और संकल्प 2321 (2016) के अनुलग्नक IV में विनिर्दिष्ट मदों सहित विलासिता संबंधी माल परंतु जो इन मदों तक सीमित नहीं हैं।

(v) खाद्य या दवा को छोडकर केन्द्र सरकार द्वारा यथा निर्धारित मदें जो कोरिया लोक जनतांत्रिक गणराज्य के अपने सशस्त्र बलों की प्रचालन संबंधी क्षमताओं के विकास में प्रत्यक्ष रुप से योगदान दे सके। यह उपाय संकल्प 2270 (2016) के पैरा 8(क) और (ख) में निर्धारित छूटों के अधीन है;

<u>आयात</u> पर निषेधः

(ख) उपर्युक्त उप–पैरा (क)(i), क(ii), क(iii) और क(v) में शामिल कोरिया लोक जनतांत्रिक गणराज्य से संबंधित मदें जिनका कोरिया जनतांत्रिक गणराज्य में उद्‌गम हो या न हो, का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष खरीद या आयात पर निषेध है।

क्षेत्रीय निषेध **(निर्यात)**:

(ग) कोरिया लोक जनतांत्रिक गणराज्य को निम्नलिखित मदों की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आपूर्ति, बिक्री, अंतरण या निर्यात पर निषेध है:

(i) समिति द्वारा प्रत्येक मामले के आधार पर अग्रिम में यथा अनुमोदित को छोड़कर नए हेलीकाप्टर और **नये अथवा पुराने** जलयान;

(ii) विमानन गैसोलीन सहित विमानन ईंधन, नाप्था प्रकार का जेट ईंधन, केरोसीन प्रकार का जेट ईंधन और केरोसीन प्रकार का रॉकेट ईंधन। यह उपाय संकल्प 2270 (2016) के पैराग्राफ 31 और संकल्प 2321 (2016) के पैराग्राफ 20 के प्रावधानों के अधीन है।

(iii) संघनन और प्राकृतिक गैस तरल;

(iv) परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पाद। यह उपाय संकल्प **2397 (2017) के पैरा 5** में निर्धारित सीमाओं, **अपवादों** और प्रक्रियाओं के अधीन है;

(v) कच्चा तेल। यह उपाय संकल्प **2397 (2017) के पैरा 4** में निर्धारित **सीमाओं**, छूटों और प्रक्रियाओं के अधीन है;

(vi) सभी **औद्योगिक मशीनरी [आईटीसी (एचएस) का अध्याय 84 और 85], परिवहन** वाहन **[आईटीसी (एचएस) का अध्याय 86 से 89 तक], और लोहा, इस्पात तथा** अन्य **धातु [आईटीसी (एचएस) के अध्याय 72 से 83 तक]। यह उपाय संकल्प** 2397 **(2017) के पैरा 7 में निर्धारित छूटों के अधीन है।**

क्षेत्रीय निषेध **(आयात)**

(घ) कोरिया लोक जनतांत्रिक गणराज्य से निम्नलिखित मदों की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष खरीद या आयात प्रतिबंधित है:

(i) कोयला, लोहा और लौह अयस्क। यह उपाय संकल्प 2371 (2017) के पैराग्राफ 8 में निर्धारित छूटों और प्रक्रियाओं के अधीन है;

(ii) सोना, टाइटेनियम अयस्क, वैनेडियम अयस्क और दुर्लभ मृदा–खनिज;

(iii) तांबा, निकल, चांदी और जस्ता;

(iv) मूर्तियां, जब तक कि समिति अग्रिम में मामला–दर–मामला आधार पर अनुमोदन न दे;

(v) समुद्री खाद्य पदार्थ, (मछली, क्रसटेशियंस, मोलस्क और सभी रुपों में अन्य जलीय अकशेरुकीय सहित)। यह उपाय संकल्प 2371 (2017) के पैराग्राफ 9 और **संकल्प 2397 (2017) के पैराग्राफ 6** में निर्धारित छूटों, **स्पष्टीकरणों** और प्रक्रियाओं के अधीन है;

(vi) सीसा और सीसा अयस्क। यह उपाय संकल्प 2371 (2017) के पैराग्राफ 10 में निर्धारित छूट और प्रक्रियाओं के अधीन है;

(vii) वस्त्र (फैब्रिक्स और आंशिक रुप से या पूर्ण रुप से तैयार परिधान उत्पादों सहित लेकिन उन्हीं तक सीमित नहीं)। यह उपाय संकल्प 2375 (2017) के पैराग्राफ 16 में निर्धारित छूट और प्रक्रियाओं के अधीन है;

(vii) खाद्य और कृषि उत्पाद [आईटीसी (एचएस) का अध्याय 12,08,07], मशीनरी [आईटीसी (एचएस) का अध्याय 84], विद्युत उपकरण [आईटीसी (एचएस) का अध्याय 85], मैग्नेसाइट और मेग्नेसिया सहित मिट्टी और पत्थर [आईटीसी (एचएस) का अध्याय 25], लकड़ी [आईटीसी (एचएस) का अध्याय 44] और जलयान [आईटीसी (एचएस) का अध्याय 89]। ये उपाय संकल्प 2397 (2017) के पैराग्राफ 6 में निर्धारित प्रक्रियाओं के अधीन है।

व्याख्याः—

क) यूएनएससी का अर्थ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है;

ख) आईएईए का अर्थ अंतराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण है:

ग) समिति का अर्थ संकल्प 1718 (2016) के पैराग्राफ 12 के अनुसार गठित यूएनएससी की समिति है: और

घ) संकल्प, जैसा भी मामला हो, का अर्थ कोरिया लोक जनतांत्रिक गणराज्य पर संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय VII के तहत यूएनएससी संकल्प, अर्थात्; 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2231 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017) और 2375 (2017) और **2397 (2017)** है।

3. अधिसूचना का प्रभावः—

इस अधिसूचना का उद्देश्य कोरिया लोक जनतांत्रिक गणराज्य पर संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अध्याय VII के तहत यूएनएससी संकल्प अर्थात, 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2231 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) और **2397 (2017)** के कारण कोरिया लोक जनतांत्रिक गणराज्य से/को आयात और निर्यात के संबंध में विदेश व्यापार नीति 2015–20 के पैरा 2.17 को अद्यतन बनाना है।

(आलोक वर्धन चतुर्वेदी)
महानिदेशक, विदेश व्यापार
ई–मेलः– dgft@nic.in

(फा० सं०. 01/91/180/991/एएम–07/पीसी–III/ईसी से जारी)